आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

23

क्रमांकः प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांक : 29 MAR 2023

आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 17.03.2023 को की गई बजट घोषणा के बिन्दु सं. 28 की पालना में अभियान अवधि में निम्न आदेश दिये जाते हैं :–

(क) कृषि भूमि पर बिखरे/छितरे निर्मित भूखण्डों के संबंध में :–

1. नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित नगरपालिक सीमा (म्युनिसिपल लिमिट) में स्थित पुरानी आबादी क्षेत्र से लगती हुई कृषि भूमि का दिनांक 02.05.12 से पूर्व अकृषि उपयोग होकर भूखण्डों पर आवासीय निर्माण व रहवास है उनकी सुओ मोटो धारा 90–ए(8) की कार्यवाही ऐसे सम्पूर्ण मिले हुए (contiguous) क्षेत्र की या पृथक–पृथक क्षेत्रवार (Cluster-wise) की जायेगी जिससे कृषि भूमि संबंधित निकाय (प्राधिकरण/निगम/न्यास/ परिषद/ पालिका) के नाम दर्ज होकर आबादी भूमि हो जायेगी। ऐसी भूमि के फ्रीहोल्ड पट्टे प्राप्त करने हेतु आमजन को सूचित किया जाकर आवेदन लेने एवं कैम्प आयोजित करने की कार्यवाही की जायें।
2. ऐसे प्रकरणों में फायर ब्रिगेड व एम्बुलेन्स के आवागमन हेतु सडक की व्यवस्था सुनिश्चित करते. हुये निर्मित भूखण्ड का साईट प्लान स्वीकृत कर उसके साथ ही फ्री होल्ड पट्टा दिया जावेगा।
3. दिनांक 02.05.2012 से पूर्व आवासीय भूखण्ड का सृजन/क्रय/निर्मित होने के प्रमाण स्वरूप पंजीकृत/अपंजीकृत दस्तावेज, नगरीय निकायों/सरकारी विभागों का उस पते पर नोटिस/डाक पत्र, बिजली–पानी के बिल, मतदाता सूची, गूगल प्लान एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज में से कोई भी एक सबूत कब्जा/निर्माण का मान्य होगा।
4. समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी करने के लिये संबंधित क्षेत्र व भूखण्डों का विस्तृत विवरण संबंधित निकाय की वैबसाईट पर डाला जावेगा तथा समाचार पत्रों में सिर्फ संबंधित क्षेत्र की संक्षिप्त जानकारी देते हुये विज्ञप्ति स्वायत्त शासन विभाग के पूर्व आदेश दिनांक 23.02.2022 व नगरीय विकास विभाग के पूर्व आदेश दिनांक 04.03.2022 के अनुसारः निकाय के स्वयं के व्यय पर जारी की जावेगी।

CamScanner

5. केवल भूखण्ड के स्वामित्व का पट्टा दिया जायेगा जो भूखण्ड में किये गये निर्माण के नियमन का प्रमाण नहीं होगा।

6. जब कभी ऐसे क्षेत्र का ले–आउट प्लान बनाया जायेगा तब ऐसे भूखण्डों का ले–आउट प्लान में समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

7. ऐसे प्रकरणों में केवल निम्न प्रकार राशि देय होगी :–

(अ) प्रीमियम राशिः– 300 वर्गमीटर तक के आवासीय निर्मित भूखण्डों हेतु 501/– रूपये एकमुश्त

(ब) एकमुश्त लीज राशि–10 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि प्रीमियम राशि के समान ही देय होगी।

(स) पट्टे हेतु अन्य कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(ख) नगरीय क्षेत्रों के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में स्थित ग्राम की आबादी के 500 मीटर की परिधि में पट्टे देने के संबंध में :– नगरीय क्षेत्रों के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में स्थित ग्राम की आबादी के 500 मीटर की परिधि में दिनांक 31.12.2013 से पूर्व कृषि भूमि का अकृषि (आवासीय) उपयोग होकर भूखण्ड पर निर्माण हो चुका हो, ऐसी बसी हुई कॉलोनियों में 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्डों के लिए प्रीमियम दर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की जाकर प्रीमियम दर के अनुसार 10 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त लेकर फ्री–होल्ड पट्टे जारी किये जायेंगे। इस संबंध में बिन्दु संख्या (क) के उप बिन्दु सं. 1 से 5 अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(ग) कृषि भूमि पर कॉलोनियों के रूप में सृजित/निर्मित भूखण्डों के संबंध मेंः– कृषि भूमि का दिनांक 31.12.2021 से पूर्व अकृषि उपयोग होकर बसी हुयी कॉलोनियों जिनमें 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर निर्माण है, उनमें धारा 90–ए (8) एवं सर्वे की कार्यवाही सुओ मोटो संबंधित निकाय द्वारा की जायेगी। ऐसी कॉलोनियों में सुविधा क्षेत्र 30 प्रतिशत (सडक, पार्क सुविधा क्षेत्र सहित) रखते हुए आंतरिक सडकों की न्यूनतम चौडाई 30 फीट रखते हुए सर्वे/ले–आउट प्लान का अनुमोदन कर अभियान अवधि में देय दरों पर राशि लेकर फ्री–होल्ड पट्टे दिये जायेंगे, परन्तु 60 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर निर्माण होने पर आंतरिक सडकों की चौडाई 20 फीट या मौके के अनुसार जो भी अधिक हो, रखी जा सकेगी।

(घ) पूर्व के स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार शेष भूखण्डों के पट्टे देने के संबंध मेंः– कृषि भूमि, राजकीय भूमि एवं योजना की भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों, जिनके कृषि भूमि, राजकीय भूमि एवं योजना की भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों,

CamScanner

जिनके ले–आउट प्लान/पीटी सर्वे पूर्व में ही नियमन हेतु स्वीकृत हो चुके हैं, ऐसी कॉलोनियों में शेष भूखण्डों (निर्मित/सृजित) के पट्टे पूर्व स्वीकृत ले–आउट प्लान/पीटी सर्वे के अनुसार अभियान अवधि में देय दरों से राशि लेकर दिये जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
11. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
12. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
13. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
14. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
15. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
16. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

CamScanner